

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक—प. 5(1) साप्र / 3 / 11

जयपुर, दिनांक 12-4-12

—:परिपत्रः—

भारत संचार निगम लिमिटेड के टेलीफोन/मोबाइल बिल डाक विभाग के माध्यम से सम्बन्धित उपभोक्ता को प्राप्त होते हैं। जिसमें सम्बन्धित उपभोक्ता को बिल विलम्ब से मिलने की शिकायत रहती है। इस समस्या के समाधान हेतु कठिपय अधिकारीगण के टेलीफोन बिल उनके कार्मिक विभाग की साईट पर उपलब्ध ई-मेल एड्रेस पर मंगवाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु भारत संचार निगम लिमिटेड का यह सुझाव है कि व्यक्तिगत ई-मेल एड्रेस पर कार्यालय टेलीफोन के बिल मंगवाने से उनके स्थानान्तरण होने पर समस्या यथावत बनी रहेगी।

अतः सम्बन्धित विभाग/कार्यालय अपने कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पंजीकृत करवाकर भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करें ताकि कार्यालय के ई-मेल एड्रेस पर लैण्डलाइन/मोबाइल के बिल भेजे जा सके।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की वेबसाईट www.rajasthan.bsnl.co.in से मोबाइल टेलीफोन के बिल सीधे ही डाऊनलोड किये जा सकते हैं तथा लैण्डलाइन टेलीफोन के बिल डाऊनलोड करने हेतु संलग्न प्रक्रिया अनुसार पंजीकरण करवाकर लैण्डलाइन टेलीफोन के बिल भारत संचार निगम लिमिटेड, जयपुर की साईट से सीधे ही डाऊनलोड किये जा सकते हैं।

अतः विशिष्ट सहायक/निजी सचिव मा.मुख्यमंत्री/मा.मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण तथा निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव एवं अन्य अधिकारीण से अनुरोध है कि कृपया अपने कार्यालय का ई-मेल एड्रेस सहायक महाप्रबंधक, (ईबी), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, कमरा नं०-104, टैक्स बिल्डिंग, भारत संचार निगम लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर (फैक्स-2360400) को निम्न प्रपत्र में सूचना भिजवाकर पंजीकृत करवा लिया जाये तथा प्रतिलिपि इस विभाग को भिजवाने की व्यवस्था करावें ताकि बिल समयावधि में प्राप्त हो सके :-

क्र०सं०	टेलीफोन नम्बर/ मोबाइल नम्बर	टेलीफोन/मोबाइल कर्स्टगर आईडी/खाता संख्या	कार्यालय ई-मेल एड्रेस
(1)	(2)	(3)	(4)
1. (o) 0141-			
2. (R) 0141-			
3. (M)			

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मा० मंत्रीगण/मा० राज्यमंत्रीगण/मा० संसदीय सचिवगण।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिवगण।
4. शासन सचिवालय में पदस्थापित समर्त शासन उप सचिवगण/अन्य अधिकारीगण।
5. श्री ए.के.जैन, एजीएम (ईबी), कार्यालय प्रधान महाप्रबन्धक, कमरा नं०-104, टैक्स बिल्डिंग, भारत संचार निगम लिमिटेड, एम.आई. रोड, जयपुर (फैक्स-2360400)
6. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

उप शासन सचिव

भारत संचार निगम लिमिटेड, (BSNL) जयपुर की वेबसाइट से

ऑनलाईन डुप्लीकेट बिल प्राप्त करने की प्रक्रिया

- ❖ सर्वप्रथम यह सुनिश्चित कर लेवें कि उपभोक्ता के पास ई-मेल एड्रेस है।
- ❖ यदि ई-मेल एड्रेस नहीं है तो ई-मेल रजिस्ट्रेशन करावे।
- ❖ तत्पश्चात् www.rajasthan.bsnl.co.in की साईट खोलें।
- ❖ उपरोक्त साईट खोलने पर web customer services (CDR Based) के विकल्प पर क्लिक करें।
- ❖ तदुपरान्त USER LOGIN का विकल्प प्रदर्शित होगा जिसमें Existing BSNL Customer "Click here" विकल्प को क्लिक करें।
- ❖ रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होने पर उसको पूर्ण रूप से भरें।
- ❖ फार्म भरने के पश्चात् कुछ दिन के उपरान्त BSNL द्वारा उपभोक्ता को पासवर्ड उपलब्ध करवाया जावेगा। जिसकी जानकारी आपके ई-मेल पर होगी।
- ❖ तदुपरान्त उपभोक्ता उपलब्ध करवाये गये पासवर्ड अथवा अपनी इच्छानुसार अन्य पासवर्ड से डुप्लीकेट टेलीफोन बिल का प्रिन्ट ले सकता है।